GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.662
TO BE ANSWERED ON 20.07.2022

MEDICAL FACILITIES TO PASSENGERS

†662. SHRI SHANKAR LALWANI:
DR. BHARATIBEN DHIRUBHAI SHIYAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the steps taken/likely to be taken by the Railways for providing first aid and prompt medical aid to the passengers during the journey;

(b) the facilities being provided by the Railways at present;

(c) whether the said facilities are available at all the railway stations;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the steps being taken/likely to be taken to extend these facilities?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (e): The need and extent of providing medical facilities at Railway stations and in trains was examined by Hon'ble Supreme Court. In compliance of the orders, a committee of experts was constituted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi. As recommended by Committee of

.... 2/-

https://www.govtstaff.com

experts, instructions have been issued to provide a Medical Box containing life saving medicines, equipments, oxygen cylinder, etc. at all Railway stations and passenger carrying trains. At some Railway Stations Emergency Medical Room (EMR) have been provided.

Front line staff i.e. Train Ticket Examiner, Train Superintendents, Assistant Station Master, etc. are trained in rendering First Aid. Regular refresher courses are conducted for such staff. List of near-by hospitals and doctors along with their contact numbers is available at all Railway Stations. Ambulance services of Railways, State Government/Private Hospitals and ambulance service providers are utilized to transport the injured sick passengers to the hospitals/doctor's clinics.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.07.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 662 का उत्तर

यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं

662. श्री शंकर लालवानी:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को प्राथमिक उपचार और त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले हैं;

(ख) रेलवे द्वारा वर्तमान में क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधाएं सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता और उसकी मात्रा की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थी। आदेशों के अनुपालन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा के अनुसार सभी रेलवे

https://www.govtstaff.com

स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में एक मेडिकल बॉक्स जिनमें जीवन रक्षक औषधि, उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि मौजूद हों, की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। कुछ रेलवे स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

फ्रंट लाइन स्टाफ अर्थात् चल टिकट परीक्षक, गाड़ी पर्यवेक्षक, सहायक स्टेशन मास्टर आदि को प्रथमोपचार देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर निकटवर्ती अस्पतालों और डॉक्टरों के संपर्क नंबर की सूची उपलब्ध होती है। घायल, बीमार यात्रियों को अस्पतालों/डॉक्टरों के क्लीनिक तक पहुंचाने के लिए रेलों, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

****

https://www.govtstaff.com